न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी : कमर चौधरी
आई0ए0एस0

अपील सं0 03/2022 रसद

रामोतार मीना पुत्र श्री मिटठूराम मीना निवासी पीपली पाडा तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान।

..अपीलांट

बनाम

. जिला रसद अधिकारी दौसा (राजस्थान)

..रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 22 राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनिमय आदेश 1978 एवं जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित आदेश मुकदमा नंबर 107/2017 दिनांक 29.11.2017 के तहत।

उपस्थित: 1.श्री दुर्गा प्रसाद सैनी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2.श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 26.5.2022

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 29.11.2017 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ कार्यालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

अधिवक्ता अपीलांट पक्ष ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस मे दलील दी है कि अपीलांट ग्राम पंचायत नोरंगवाडा तहसील महवा का उचित मूल्य दुकांन का अधिकृत डीलर है। जिसका प्राधिकार पत्र सं0 88/2012 है। ग्राम पंचायत बालाहेडा के उपभोक्ताओं को बिना किसी शिकायत के रसद सामग्री का वितरण वर्ष 2000 से करता रहा है। राजनैतिक रंजिशवश प्रार्थी की दुकान का निरीक्षण दिनांक 11.7.2017 को जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा किया गया जबकि उस समय प्रार्थी अपनी बेटी की डिलेवरी के कारण दौसा जिला अस्पताल में आया हुआ था। उचित मूल्य की दुकान सतीश चन्द्र मीना द्वारा दुकान खोलकर निरीक्षण करवाया गया। जांच रिपोर्ट दिनांक 12.7.2017 को प्रस्तुत की गई एवं जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.7.2017 को प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया। अपीलांट द्वारा जि[illegible] को समस्त वितरण रजिस्टर मौके पर ही जिला रसद अधिकारी दौसा को प्रस्तुत [illegible] गये थे। दिनांक 26.7.2017 को प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान व अटैच श्री बालराम [illegible] की दुकान जांच रिपोर्ट हेतु जांच दल गठित किया गया। जांच दल [illegible] रिपोर्ट पेश की [illegible]क 4.8.2017 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जि[illegible] विस्तृत जवाब प्रार्थी [illegible] दिनांक 24.10.2017 को प्रस्तुत कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रार्थी के जवाब से

निरंतर ...2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.15 10:11:42 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संतुष्ट नही होकर दिनांक 29.11.2017 को प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 राज0 खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनिमय आदेश 1976 के प्रावधानों के विपरीत एवं विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। दिनांक 11.7.2017 को प्रार्थी की अनुपस्थिति में की गई जांच के समय प्रार्थी मौके पर मौजूद नही था। प्रार्थी की पुत्री के डिलेवरी के समय सीरियस होने के कारण दौसा में था। चीनी, गेहूँ व केरोसीन के स्टॉक रजिस्टर जिला रसद अधिकारी दौसा को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया गया था तथा स्टॉक का भी निरीक्षण करवाया था, जो सही पाया गया था। रजिस्टर आज तक भी जिला रसद कार्यालय दौसा में जमा है। प्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान ग्राम पंचायत के बीच में पडती है, अटैच दुकान बालूराम मीना के उपभोक्ताओं के लिए भी सुविधाजनक पास मे होने के कारण तथा एक ही पंचायत में होने के कारण शुद्ध मन से सरपंच व प्रवर्तन निरीक्षक को सूचित कर वितरण कार्य एक ही दुकान से किया था। इसमें प्रार्थी का कोई दूषित इरादा नहीं था। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 में किसी प्रकार से रसद सामग्री का दुरूपयोग व कालाबाजारी का आरोप प्रमाणित नहीं है। केवल मात्र तकनीकी अनियमितताओं से संबंधित है। प्रार्थी के द्वारा वांछित रिकार्ड उपलब्ध नही कराने का आरोप निराधार है। प्रार्थी को राजनैतिक दबाव के कारण बिना उचित कारण के व निष्कर्ष के कठोर दण्ड देते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। खाध एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 25.3.1994 को परिपत्र जारी किया गया है जिसमें समस्त जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि छोटे मोटे तकनीकी आधारों पर डीलरों को तंग व परेशान नहीं किया जावे। इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा बिना किसी उचित आधार के प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए निरस्त किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध 13962 किलोग्राम गेहूँ कम पाये जाने का नोटिस दिया गया है जो गलत है। प्रार्थी के पास माह सितंबर 2016 से जुलाई 2017 तक उठाव व वितरण रजिस्टर के अनुसार 118.85 उस समय भी था था जब जांच की गई थी और आज भी है तथा 29.1 रामप्रसाद मीना डीलर का अटैच भी सितंबर माह में प्रार्थी के साथ अटैच था उसका शेष स्टॉक भी 29.1 के सहित है जो जांच के दौरा इस तथ्य को रिकार्ड पर नहीं लिया गया तथा गलत जांच रिपोर्ट तैयार की । प्रार्थी ने गेहूँ का कोई गबन नहीं किया एवं ना ही गेहूँ जांच के दौरान कम पाया गया है। 325.80 लीटर केरोसीन भी कम होना बताया गया है जबकि मौके पर 220 लीटर का ड्रम दुकान पर था तथा शेष केरोसीन अटैच वाली दुकान बालूराम मीना की दुकान पर रखा हुआ था जिसे अधिकारियों को बता दिया गया था। केरोसीन कम पाये जाने का अरोप भी निराधार है। 1065.20 किलोग्राम चीनी कम पाये जाने का भी आरोप लगाया गया है जो कि झूंठा एवं निराधार है। प्रार्थी को मात्र 27.95 क्विं0 चीनी मिली थी जिसमें से 20.85 किलोग्राम चीनी का वितरण कर दिया गया 710.20 किलोग्राम चीनी स्टॉक में रही थी जिसमं से 1 क्विंटल चीनी मौके पर थी तथा 610.20 किलोग्राम चीनी अटैच दुकान पर रखी [illegible] मौके पर बताया गया था। अतः उपरोक्त आरोप गेहूँ, चीनी व केरोसीन कम होने [illegible] आरोप निराधार निराधार है। प्रार्थी का एकमात्र रोजगार का जरिया उचित मूल्य की दुकान है जिससे पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। प्रार्थी के उपर कोई गंभीर [illegible] प्रार्थी के द्वारा कोई कालाबाजारी भी नहीं की गई है। इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रार्थी का प्राधिकार पत्र बिना किसी उचित आधार के निरस्त किया गया है। प्राधिकार पत्र के निरस्तीकरण बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.15 16:11:42 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...3 पर

जिला रसद अधिकारी दौसा का आदेश अस्पष्ट एवं बिना किसी उचित कारण व निष्कर्ष के पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाने के आदेश जिला रसद अधिकारी दौसा को प्रदान किये जावे।

विभागीय पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत नोरंगवाडा तहसील महवा के उचित मूल्य दुकानदार श्री रामोतार मीना के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच सुयंक्त जांच दल द्वारा दिनांक 12.7.2017 को की जाकर कार्यालय जिला रसद अधिकारी दौसा में प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट मे पाई गई अनियमितताओं बाबत दिनांक 4.8.2017 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जांच में निम्न अनियमितताऐं पायी गई:–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. जांच दल को स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं करया गया।
2. दुकान के बार वांछित सूचनाओ यथा दुकानदार का नाम, दुकान खोलने का समय, विभागीय अधिकारियों का नाम एवं दूरभाष संख्या , मूल्य व स्टॉक सूची, बोर्ड सूचना पटट आदि का यथास्थान दुकान पर प्रदर्शन/अंकन नहीं होना।
3. एनएफएसए–ई सूची का प्रदर्शन होना नही पाया गया।
4. उचित मूल्य दुकान पर गत माह में पोस मशीन द्वारा दिया गया राशन वितरण का प्रिन्ट उपभोक्ताओं के अवलोकनार्थ मौके पर नहीं रखा गया।
5. मासिक विवरणी की प्रतियां चाहे जाने पर उपलब्ध नहीं कराई गई।
6. उचित मूल्य दुकान पर राशन सामग्री की आमद व वितरण का ग्राम सभा की बैठक में सत्यापन नहीं कराया गया।
7. यूनिट रजिस्टर जांच दल को उपलब्ध नहीं करवाया गया।
8. स्वयं की दुकान एवं अटैच दुकान पर थोक विकेता द्वारा की गई आपूर्ति एवं पोस मशीन से वितरण का मिलान किये जाने पर 13962 किलोग्राम गेहूँ व 3254.80 लीटर केरोसीन व 1065.20 किलोग्राम चीनी कम पाई गई।

संयुक्त जांच दल द्वारा जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी कार्यालय मे प्रस्तुत की गई। जिसमें 13962 किलोग्राम गेहूँ व 3254.80 लीटर केरोसीन व 1065.20 किलोग्राम चीनी का दुरूपयोग किया गया है। इस प्रकार डीलर द्वारा गंभीर अनियमिताएं कर "राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एव विनियमन) आदेश 1976" के खण्ड 20 व इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,6,7,8,10,11,,17सी, व 18 तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंधन किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.15 10:11:42 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 का अवलोकन करने पर उक्त आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र का कमांक व दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया है। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण में गंभीर अनियमितता की गई है। राशन सामग्री 13962 किलोग्राम गेहूँ व 3254.80 लीटर केरोसीन व 1065.20 किलोग्राम चीनी का दुरूपयोग किया जाना प्रमाणित होता है।साथ

निरंतर ...4 पर

ही जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा उचित मूल्य दुकानदार द्वारा 13962 किलोग्राम गेहूँ की राशि 251316/–रू0 व 3254.80 लीटर केरोसीन की राशि 112291/– तथा 1065.20 किलोग्राम चीनी की राशि 15978/– की वसूली किये जाने के आदेश पारित किये गये है। डीलर द्वारा की गई गम्भीर अनियमितताओं को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ कार्यालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26 मई 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.15 10:11:42 IST
Reason: SelfAttested

संभव नहीं है।